समक्ष न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

रिवीजन प्रकरण कमांक -------/2015

निग-127-I-16

रिवीजनकर्ता : 1- शंभू प्रसाद साहू पिता बुद्धलाल
2- बलराम साहू पिता शंभू प्रसाद
निवासी- सारसडोली तहसील-
शहपुरा जिला डिण्डौरी म0 प्र0

581

विरूद्ध

अनावेदकगण : 1- म0प्र0 शासन द्वारा अतिरिक्त
कमिश्नर संभाग जबलपुर ।
2- शिवचरण साहू पिता परसादिया
निवासी- सारसडोली तहसील -
शहपुरा जिला डिण्डौरी म0प्र0

रिवीजन अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0राजस्व संहिता 1959

रिवीजनकर्तागण अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कमिश्नर महोदय जबलपुर संभाग के प्रकरण कमांक 515/अ-5/ 2013-14 में पक्षकार शंभू प्रसाद वगैरह विरूद्ध शिवचरण साहू व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.11.2015 से क्षुब्ध होकर माननीय न्यायालय के समक्ष यह रिवीजन प्रस्तुत कर रहे है ।

रिवीजनकर्तागण माननीय न्यायालय से अधौलिखित निवेदन करते है कि :-

1- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 24.11.2015 को आदेश पारित कर अपीलार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त कर दी गई है ।

2- यह कि, अपीलार्थीगणों के द्वारा एक आवेदन अपर कलेक्टर महोदय के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया गया था कि, ग्राम सारसडोली स्थित भूमि खसरा नम्बर 559 पुराना खसरा नम्बर 471/1 क्षेत्रफल 1.48 हैक्टेयर जो वर्ष 1988-89 में इस भूमि से लगा

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 127–एक/16 जिला – डिण्डोरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27.7.16	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण कमांक 515/अ–5/13–14 में पारित आदेश दिनांक 24–11–15 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के विरूद्ध पेश की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक शंभू प्रसाद द्वारा एक आवेदन अपर कलेक्टर के समक्ष इस आशय का पेश किया कि ग्राम सारसडोली स्थित भूमि सर्वे नं. 559 पुराना खसरा नं. 473/1 क्षेत्रफल 1.48 हैक्टर जो वर्ष 1988–89 में इस भूमि से लगा नाला भूमि खसरा नं. 1019/2 रकबा 0.20 हैक्टर आवंटित किया गया था। भूमि खसरा नंबर 1018 रकबा 0.318 का भूमि स्वामी है, जिसे वर्ष 1996–97 में 1019/5 रकबा 0.35 आवंटित किया गया था । तद्नुसार कब्जा है । आवेदक ने खसरा नं. 1018 का बटवारा अपने तीन पुत्रों के नाम कर दिया है । आवेदन में यह भी लेख किया गया कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा फर्जी तरीके से खसरा नं. 1018 से लगी भूमि पर 1019/2 दर्ज करा लिया है और जबरदस्ती हड़पना चाहता है, जबकि उसकी भूमि 559 से संग्न 1019/2 है । अतः नक्शे में की गई अवैध त्रुटि का सुधार न्यायोचित है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदन पत्र एवं दस्तावेजों की प्रति नायब तहसीलदार को भेजकर जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया एवं उभयपक्षों को सुनने के उपरांत आवेदक का आवेदन सारहीन पाते हुए निरस्त किया । इस आदेश	

निग. 127-I/16

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	के विरूद्ध आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश के द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के इस आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । 3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि यह प्रकरण नक्शे में हुई त्रुटि सुधार का है । तहसीलदार एंव अनुविभागीय अधिकारी ने जांच उपरांत त्रुटि होना स्थापित मानते हुए नक्शे में सुधार किये जाने का प्रतिवेदन दिया था परंतु अपर कलेक्टर ने उक्त रिर्पोट को अनदेखा कर आदेश पारित किया है इस कारण उनका आदेश निरस्ती योग्य है । यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त ने विचारण न्यायालय के अवैधानिक आदेश की पुष्टि की गई है, इस कारण उक्त आदेश भी स्थिर नहीं रखा जा सकता। 4/ अनावेदकों की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। 5/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा आलोच्य आदेश का परिशीलन किया गया । अपर आयुक्त ने अपने आदेश में यह पाया गया है कि है कि आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन बिंदुओं के संबंध में व्यवहार वाद भी लगाया गया था और व्यवहार न्यायालय ने प्रत्येक बिंदु पर स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुए उसके द्रावे को निरस्त किया है तथा अपर जिला न्यायाधीश द्वारा आवेदक को अनावेदक का पूरा खर्च वहन करने के निर्देश भी दिए हैं । व्यवहार न्यायालयों के निर्णयों को देखते हुए अपर आयुक्त ने राजस्व न्यायालयों द्वारा पृथक निष्कर्ष दिया जाना संभव नहीं मानते हुए आवेदक की अपील को निरस्त किया है । चूंकि व्यवहार न्यायालय द्वारा उठाये गये बिंदुओं के संबंध में व्यवहार न्यायालय द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुए आवेदक के दावे को	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग0 127–एक/16 जिला – डिण्डोरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	निरस्त किया जा चुका है, ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है । उभयपक्ष सूचित हों एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस हो । सदस्य	